

28 मार्च, 2020

कार्यकारी आदेश 2020-16

COVID-19 के लिए कार्यकारी आदेश
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 14)

जबकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने कोरोनावायरस रोग 2019 ("COVID-19") के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था ("राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा" (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन); तथा,

जबकि, कुछ ही समय में, COVID-19 तेजी से पूरे इलिनॉय में फैल गया, इसलिए संघीय, राज्य और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी और अधिक सख्त मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है; और,

जबकि, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; तथा,

जबकि, COVID-19 के पुष्ट मामलों वाले समुदायों में, CDC वर्तमान में गंभीरता घटाने वाले उपायों की अनुशंसा कर रहा है, जिनमें सामाजिक दूरी बनाए रखना, बीमार होने पर घर पर ही रहना, परिवार के किसी सदस्य के श्वसन रोग के लक्षणों के साथ बीमार होने पर या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों या किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा निर्देश दिए जाने पर घर पर ही रहना, और अन्य रोगियों से दूर रहना शामिल हैं; और,

जबकि, सामाजिक दूरी बनाए रखना, जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छह फीट की दूरी बनाए रखनी होती है, हमारे समुदायों में COVID-19 के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोपरि रणनीति है; और,

जबकि, 20 मार्च, 2020 को, मैंने आवश्यक यात्रा और आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी यात्रा और गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कार्यकारी आदेश 2020-10 जारी किया था, क्योंकि उन शर्तों को उस कार्यकारी आदेश में परिभाषित किया गया है; तथा,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2020-10 ने आवश्यक व्यवसायों और संचालन की श्रेणी के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यापार के रूप में सुरक्षा कर्मचारियों की पहचान की; तथा,

जबकि, COVID-19 के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ा है, जिसमें आय और मजदूरी का नुकसान भी शामिल है, जो वित्तीय सुरक्षा को कमजोर करने की धमकी देता है; तथा,

जबकि, वाहनों की जब्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण के हित और यह सुनिश्चित करने के विपरीत है कि लोग सार्वजनिक परिवहन के अपने उपयोग को सीमित करते हुए और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अनुमत यात्रा में संलग्न हो सकते हैं;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(8), और 7(12) के अनुसरण में, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

अनुभाग 1. 27 मार्च, 2020 से शुरू करते हुए और राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबर्नेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के लिए जारी, किसी वाहन को कब्जे में लेने या प्रयोज्य के बारे में यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड, 810 ILCS 5/9-609 के प्रावधानों के तहत, और इलिनॉय वाहन कोड 625 ILCS 5/3-114 के प्रावधानों के तहत, वाहनों की जब्ती, निलंबित रहेगी। इस कार्यकारी आदेश में निहित कोई भी प्रावधान किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने या किसी अन्य दायित्व के अनुपालन करने से छूट के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो किसी व्यक्ति के ऋण समझौते या अन्य के अनुसार हो सकता है।

अनुभाग 2. गुबर्नेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन की अवधि के दौरान, 2004 के प्राइवेट डिटेक्टिव, प्राइवेट अलार्म, प्राइवेट सिक्योरिटी, फ़िंगरप्रिंट वेंडर और लॉकस्मिथ एक्ट के प्रावधान, 225 ILCS 447/20-20 (a) और 225 ILCS 447/25-20 (a), के तहत कक्षा में प्रशिक्षण पूरा करने की आवश्यकता को निलंबित कर दिया गया है। प्राइवेट डिटेक्टिव, प्राइवेट अलार्म, प्राइवेट सिक्योरिटी, फ़िंगरप्रिंट वेंडर और 2004 के लॉकस्मिथ एक्ट के लिए आवश्यक किसी भी प्रशिक्षण को ऑनलाइन निर्देश के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

(गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 28 मार्च, 2020

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 28 मार्च, 2020